रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 23, 1970/कार्तिक 1, 1892

No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 1970/KARTIKA 1, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 23rd October 1970

G.S.R. 1822.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 280ZE of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby makes the following Scheme to amend the Tax Credit Certificate (Equity Shares) Scheme, 1965, namely:—

1. This Scheme may be called the Tax Credit Certificate (Equity Shares) Amendment Scheme, 1970.

2. In paragraph 6 of the Tax Credit Certificate (Equity Shares) Scheme, 1965 (hereinafter referred to as the said Scheme), for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(3) Any public company in whose favour an authorisation has been issued in respect of an issue of capital which is an eligible issue of capital shall forward along with the share certificate,—

(i) to every shareholder who has been allotted any ordinary share forming part of such issue, on the allotment thereof,

(ii) to every individual who has applied for entering his name in the register of shareholders of the company in respect of any such share acquired by him from the underwriter, on the date when his name is so entered,

an intimation in Form C containing the particulars specified therein.";

3. After paragraph 6 of the said Scheme, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"6A. *Transmission of intimation by registered shareholder to beneficial owner.*—A registered shareholder of any share forming part of an eligible issue of capital who is not himself the beneficial owner of such share shall, in a case where the beneficial owner is an individual or a Hindu undivided family, transmit the intimation referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 6 pertaining to the said share to such beneficial owner together with a certificate in Form C1."

4. In paragraph 8 of the said Scheme, in sub-paragraph (2), for the words, "received by him from the company", the words, figure and letter "received by him from the company or, as the case may be, from the registered shareholder in pursuance of paragraph 6A" shall be substituted.

5. In the Appendix to the said Scheme,—

(a) after Form C, the following Form shall be inserted, namely:—

"FORM C1

Tax Credit Certificates

Declaration by a registered shareholder who is not the beneficial owner of the shares.

[*See* paragraph 6A of the Tax Credit Certificates (Equity Shares) Scheme, 1965]

This is to certify that the equity shares bearing number———— to number ————in ———————————— (Name of company) covered by share certificate No.————dated————mentioned in the enclosed intimation in Form C belong to————————————, the beneficial owner and are held by me/us for (Name and address) safe custody/as security for loan.

Signature of the registered shareholder";

Date

(b) in Form E,—

(i) for the words "registered shareholder", wherever they occur, the words "registered shareholder/beneficial owner" shall be substituted;

(ii) after item 5 and the table thereunder, the following item shall be inserted, namely:—

"6. (To be filled in where the applicant is the beneficial owner of the shares but not the registered shareholder thereof):

(i) Name of the registered shareholder and address.....

(ii) Name of the beneficial owner and address.....

(iii) Reasons why the registered shareholder subscribed to the eligible issue of capital on behalf of the applicant.....

(iv) Source of investment,.....

(v) Relationship between registered shareholder and applicant.....

(vi) Date of written instructions given to registered shareholder for subscribing to the shares (copy attached).....";

(iii) in the certificate to be filled in by the authorised bank for the words, letter, figures and brackets "claimed and by the intimation in Form C

referred to in paragraph 6(3) of the Scheme", the following shall be substituted, namely:—

"claimed, the intimation in Form C referred to in paragraph 6(3), and (where appropriate) the declaration in Form C1 referred to in paragraph 6A, of the Scheme";

(c) in Form E1, for the words, brackets and letters "and intimation(s) in Form C", the words, brackets, letters and figure "intimation(s) in Form C and declaration(s) in Form C1" shall be substituted.

[No. 171/F. No. 1(127)/68-TPL.]

R. N. MUTTOO,
Additional Secy. to the Govt. of India.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1970

का० आ० 1822.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280 य ङ० की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रतिदेय कर प्रमाण पत्र (साधारण शेयर) स्कीम, 1965, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

1. यह स्कीम प्रतिदेय कर प्रमाणपत्र (साधारण शेयर) संशोधन स्कीम, 1970 कही जा सकेगी।

2. प्रतिदेय प्रमाणपत्र (साधारण शेयर) स्कीम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 6 में (उप पैरा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) कोई भी पब्लिक कम्पनी जिसके पक्ष में किसी पूंजी पुरोधारण की बाबत, जो पात्र पूंजी-पुरोधारण है, कोई प्राधिकार जारी किया गया है, शेयर प्रमाणपत्र के साथ साथ

(i) प्रत्येक शेयर धारक को जिसे ऐसे पुरोधारण के भाग रूप कोई साधारण शेयर आबंटित किया गया है, उसके आबंटन पर,

(ii) प्रत्येक व्यक्ति को जिसने उसके द्वारा निम्नांकक से अर्जित में किसी ऐसे शेयर की बाबत कम्पनी के शेयर धारकों के रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है, उस तारीख को जब उसका नाम इस रूप में दर्ज किया जाए,

प्ररूप ग में एक प्रज्ञापना भेजेगा जिसमें विनिर्दिष्ट विशिष्टियां होंगी।"

3. उक्त स्कीम के पैरा 6 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6. **क रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक द्वारा फायदाग्राही स्वामी को प्रज्ञापना का प्रेषण**:—पात्र पूर्जी पुरोधरण के भाग रूप किसी शेयर का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक जो शेयर का स्वयं फायदाग्राही स्वामी नहीं है, उस मामले में जिसमें फायदाग्राही स्वामी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, उक्त शेयर से संबंधित, पैरा 6 के उप पैरा (3) में निर्दिष्ट प्रज्ञापना को प्ररूप ग में प्रमाणपत्र सहित ऐसे फायदाग्राही स्वामी को प्रेषित करेगा।"

4. उक्त स्कीम के पैरा 8 में, उप पैरा (2) में, "उसके द्वारा कम्पनी से प्राप्त" शब्दों के स्थान पर" "उसके द्वारा पैरा 6क के अनुसरण में यथास्थिति कम्पनी या रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक से प्राप्त" शब्द अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त स्कीम के परिशिष्ट में,—

(क) प्ररूप ग के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

प्ररूप ग

रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक द्वारा जो शेयरों का फायदाग्राही स्वामी नहीं है, घोषणा

[प्रतिदेय कर प्रमाणपत्र (साधारण शेयर) स्कीम, 1965 का पैरा 6 क देखें]

यह प्रमाणित किया जाता है कि ——————————में साधारण शेयर जिनकी संख्या
कम्पनी का नाम

——————————— से ——————————तक है प्ररूप ग में संलग्न प्रज्ञापना में वर्णित शेयर प्रमाण पत्र संख्या——————तारीख ——————क अन्तर्गत हैं——————
(नाम और पता)

फायदाग्राही स्वामी के हैं और मेरे/हमारे द्वारा ऋण के लिए प्रतिभूति/निरापद अभिरक्षा के लिए धारण किए गए हैं

तारीख ——————— ———————————————
रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक के हस्ताक्षर

(ख) प्ररूप ङ में,—

(i) "रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक" शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हों "रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक/फायदाग्राही स्वामी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) मद 5 के पश्चात् और उसके नीचे की सारणी में निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"6 (उस दशा में भरा जाना है जहां आवेदक फायदाग्राही स्वामी है किन्तु उसका रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक नहीं है) :

(i) रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक का नाम और पता

(ii) फायदाग्राही स्वामी का नाम और पता

(iii) कारण कि रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक ने आवेदक की ओर से पूंजी का पात्र पुरोधरण क्यों प्रतिभूत किया:

(iv) विनिधान के स्त्रोत

(v) रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक और आवेदक में सम्बन्ध:

(vi) रजिस्ट्रीकृत शेयर धारक को शेयरों को प्रतिश्रुत करने के लिए दिए गए लिखित अनुदेशों की तारीख (प्रतिसंलग्न) : ;

(iii) प्राधिकृत बैंक द्वारा भरे जाने वाले प्रमाणपत्र में "आवेदन के साथ पात्र पूंजी पुरोधरण ————————प्ररुप ग में प्रज्ञापना होनी चाहिए" शब्दों, अक्षर, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"आवेदन के साथ पात्र पूंजी पुरोधरण (पुरोधरणों) से संबंधित मूल शेयर प्रमाण पत्र जिनकी बाबत प्रतिदेय कर प्रमाण पत्र का संबंधित दावा किया गया है पैरा 6 (3) में निर्दिष्ट प्ररुप ग में प्रज्ञापना, और (जहां अनुचित हो) ऐसे प्रत्येक पूंजी पुरोधरण को बाबत स्कीम के पैरा 6क में निर्दिष्ट प्ररुप ग में घोषणा होनी चाहिए।"

(ग) प्ररुप ङ। में "और प्ररुप ग में प्रज्ञापना (प्रज्ञापनाएं) के "शब्दों कोष्ठकों और अक्षरों" स्थान पर "प्ररुप ग में प्रज्ञापन (प्रज्ञापनाएं) और प्ररुप ग। में घोषणा (घोषनाएं)" शब्द, कोष्ठक अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 171/फा० सं० 1 (137)/68-टी०पी०एल०]

आर० एन० मुट्टु,

अपर सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970